न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : हरि सिंह देवल, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/95
दायरा तिथि : 18.07.2023
आदेश तिथि : 01-08-2023
प्रार्थी :–

हिराराम पुत्र पेकाराम जाति रेबारी निवासी निवासी तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 01-08-2023

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप मे आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 331 रकबा 0.2100 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 696 रकबा 2.5800 व खसरा नंबर 342 रकबा 53.1500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेड़ा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/483 दिनांक 20.07.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेड़ा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह कि ग्राम रुगनाथपुरा के खसरा नंबर 331 रकबा 0.2100 हैक्टर की खातेदारी भूमि प्रार्थी श्री हिराराम पुत्र श्री पेकाराम जाति रेबारी तखतगढ़ तहसील सुमेरपुर के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि मे प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है। खातेदार आवागमन के लिए प्रस्तावित भूमि का ही उपयोग करता है।
2. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	342	53.1500	गै.मु. पहाड़	220x9=1980 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2.	696	2.58	गै.मु. पत्थर	48x9=432 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

3. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेड़ा ग्राम रुगनाथपुरा की डी.एल.सी. दर 96390/– रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नही है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम रुगनाथपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 331 रकबा 0.2100 हैक्टर किस्म नहरी सोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नही होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/483 दिनांक 20.07.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

पेज लगातार......02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/

अनवान हिराराम बनाम राजस्थान सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 331 रकबा 0.2100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम रुगनाथपुरा पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 342 रकबा 53.1500 व खसरा नंबर 696 रकबा 2.5800 हैक्टर मेंसे **1980+432=2412 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 96390/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
342	53.1500	220X9=1980 वर्गमीटर	10	19800×2=39600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
696	2.58	48X9=432 वर्गमीटर	10	4320×2=8640	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **39600+8640=48240/- (अक्षरे अडतालिस हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(हरि सिंह देवल)
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज
दिनांक : 01-08-23

क्रमांक/कोर्ट/2023/409-413

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक हीराराम पुत्र पेकाराम जाति रेबारी निवासी निवासी तखतगढ तहसील सुमेरपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.